न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्याः 24/2018 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पण्डित विश्वनाथ शर्मा पुत्र पुरूषोत्तमलाल शर्मा, रूई पेच की बगीची श्रीराम मन्दिर के पास, पावर हाउस रोड, बनीपार्क जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम) जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांकः 17.01.2019

निर्णय

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत दिनांक 01.10.2018 का आवेदन–पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के कार्यालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 21.12.2018 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपील मीमो का जवाब राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पत्रांक 7877 दिनांक 01.01.19 से प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। अपीलांट स्वयं अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के जवाब दिनांक 01.01.19 अनुसार अपीलांट को सूचना उनके पत्रांक 7586 दिनांक 19.12.2018 द्वारा भिजवाया दी गई है। फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)
अपीलीय अधिकारी,
अति.कलक्टर–प्रथम,जयपुर